**आईसीएमआर-राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भोपाल**

**भौरी बाई पास रोड, भोपाल - 462030, मध्य प्रदेश,**

**अग्रिम एलटीसी प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र**

**Sub Bill No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**अवकाश यात्रा में रियायत संबंधित बिल वर्ष \_\_\_\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_\_\_\_\_ के ब्लॉक के लिए**

नोट :- यह बिल दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए - एक भुगतान के लिए और दूसरा कार्यालय प्रति के रूप में

**भाग - अ (सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जाए)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | सरकारी कर्मचारी का नाम |  |
| 2 | पद का नाम |  |
| 3 | वेतन + एसआई + एनपीए |  |
| 4 | मुख्यालय |  |
| 5 | स्वीकृत **अवकाश** की प्रकृति और अवधि | From \_\_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_\_  |
| 6 | परिवार के उन सदस्यों का विवरण जिनके संबंध में एल.टी.सी. का दावा किया गया है। |
| **क्रमांक** | **नाम** | **आयु** | **सरकारी कर्मचारी से संबंध** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्रा (यात्राओं) का विवरण। |
| प्रस्थान | आगमन | दूरी किमी.में | यात्रा का तरीका और उपयोग किये गए आवास की श्रेणी | किराए की संख्या | चुकाई गई राशि | रिमार्क्स |
| दिनांक और समय | से | दिनांक और समय | तक |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | अग्रिम की राशि, यदि कोई हो, आहरित रु.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | यात्रा का विवरण जिस आवास का सरकारी कर्मचारी हकदार है, उससे उच्च श्रेणी के आवास का उपयोग किया गया था। (स्वीकृति संख्या और तारीख दी जानी है।) |
| स्थान | परिवहन का तरीका | वर्ग जिसके लिए हकदार है। | वह वर्ग जिससे वास्तव में यात्रा की थी | किराए की संख्या | भुगतान किया गया किराया |
| से | तक | Rs. P. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा (यात्राओं) का विवरण |
| स्थान की प्रकृति | जिस वर्ग का हकदार है | रेल किराया |
| से | तक | Rs. P. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है; तथा
2. यह कि मेरे पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/यह कि मेरे पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और रियायत का लाभ उन्होंने संबंधित ब्लॉक के वर्ष \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ में अलग से या स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए नहीं लिया है।

दिनांक \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर भाग - बी

**(बिल अनुभाग (Bill Section) में भरा जाना है)**

1. अवकाश यात्रा रियायत के कारण शुद्ध पात्रता रु. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ होती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-
2. रेलवे/हवाई/बस/स्टीमर का किराया Rs. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Less अग्रिम आहरण की राशि

वाउचर नंबर \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Rs. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Net Amount Rs.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. खर्चा डेबिट करने योग्य है

**लिपिक के हस्ताक्षर आहरण एवं भुगतान अधिकारी के हस्ताक्षर**

 **प्रतिहस्ताक्षरित/Counter signed**

 **नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं

सर्विस बुक में प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

रुपये के लिए पारित किया गया \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_रुपये \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर**

**लेखा शाखा / वेतन और लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए**

**वाउचर नंबर …………………………… दिनांक ………………**

**रुपये का भुगतान करें ………………………….. रुपये ……………………………………………………**

**चेक नंबर ……………………………………. दिनांक ……………………………………………………….**

 **आहरण एवं भुगतान अधिकारी के हस्ताक्षर**

**एलटीसी प्रमाणपत्र**

**नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र**

**प्रमाणित :**

1. कि श्री/श्रीमती/कुमारी (सरकारी कर्मचारी का नाम) ………………………………………………………… ने बाहरी यात्रा शुरू करने की दिनांक तक एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए निरंतर सेवा प्रदान की है।
2. गृह मंत्रालय के पैरा 3, O.M. No.43/1/55-Ests.(A) Part II दिनांक 11 अक्टूबर, 1956 के तहत श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ कि गयी है|

 **नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम**

**सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र**

1. मैंने संबंधित ब्लॉक के वर्ष ………………………….. में अपने या अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत के लिए कोई अन्य दावा प्रस्तुत नहीं किया है|
2. मैंने/मेरी पत्नी द्वारा ………………………….. बच्चों के साथ की गई यात्रा के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पहले ही यात्रा भत्ता आहरित कर लिया है। दावा मेरी पत्नी/मेरे द्वारा …………………………… बच्चों के साथ की गई यात्रा के संबंध में है, जिनमें से किसी ने भी पहले पक्ष के साथ यात्रा नहीं की थी।
3. मैंने/मेरी पत्नी द्वारा ……………………….. बच्चों/…………………… बच्चों के साथ की गई यात्रा के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पहले से ही यात्रा भत्ता नहीं लिया है। दो वर्षों के ब्लॉक के लिए …………………………….. और ………………………….. यह दावा मेरी पत्नी द्वारा ……… के साथ की गई यात्रा के संबंध में है। ……………………..बच्चे/…………………… बच्चे इनमें से किसी ने भी उस ब्लॉक से संबंधित रियायत का लाभ नहीं लिया।
4. मैंने दो वर्ष ……………… और ……………… के ब्मेंलॉक के r/o में वर्ष ……………… में मेरे द्वारा की गई यात्रा के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पहले ही टीए आहरित कर लिया है| यह दावा मेरे द्वारा वर्ष ……………… में की गई यात्रा के संबंध में है। यह एक निर्धारित ब्लॉक में हर साल एक बार होम टाउन जाने के लिए स्वीकार्य रियायत के खिलाफ है क्योंकि मेरे परिवार के सभी सदस्य कार्यस्थल से दूर रह रहे हैं।
5. यात्रा मेरे/मेरी पत्नी ……………………………………… बच्चों/……………………………………… बच्चों द्वारा घोषित गृह नगर अर्थात ……………………………………… तक की गई है।
6. कि मेरे पति/पत्नी सरकारी नौकरी में नहीं है।

कि मेरे पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और दो वर्ष के संबंधित ब्लॉक के लिए उनके द्वारा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के लिए अलग से रियायत का लाभ नहीं उठाया गया है।

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति जिनके लिए एल.टी.सी. मेरे द्वारा दावा किया गया है ……………………………………… कि कार्यरत है (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय आदि का नाम) जो अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन उसने अपने नियोक्ता से इस संबंध में किसी भी दावे को प्राथमिकता नहीं दी है और न ही पसंद करेगा।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति जिनके लिए एल.टी.सी. मेरे द्वारा दावा किया गया है कि मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय में कार्यरत नहीं हूं जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के स्थानीय निकाय के स्वामित्व में है जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को एल.टी.सी सुविधाएं प्रदान करता है।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

**वाहन किराया अनुरोध**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | सरकारी कर्मचारी का नाम |  |
| 2 | पद का नाम |  |
| 3 | अधिकारी/अनुभाग जिससे सम्बद्ध है |  |
| 4 | विभाग का नाम |  |
| 5 | यात्रा का विवरण जिसके लिए वाहन का दावा किया गया है| |
| यात्रा की दिनांक और समय | विवरण | परिवहन का तरीका | दूरी किलोमीटर में | यात्रा का उद्देश्य | खर्च की गई राशि रु. में |
| दिनांक | समय | से | तक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

नोट:- टैक्सी/स्कूटर किराए के मामले में वाहन का पंजीकरण नंबर उद्धृत किया जाना चाहिए और किराए की रसीद संलग्न की जानी चाहिए।

दिनांक \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ दावेदार के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 दावेदार का नाम और पदनाम \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_